

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1415
प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 27.10.2022
विप्रार्थीगण

1. पाबूराम पुत्र बगताराम,
जाति भील, निवासी चैनपुरा,
पटवार मण्डल चीबी,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)


1. नारणाराम पुत्र बगताराम वगैरा 03,
जाति भील, निवासी चैनपुरा,
पटवार मण्डल चीबी,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 235 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - चैनपुरा, पटवार हल्का - चीबी, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 203/68, 215/75 रकबा क्रमशः 2.1853, 2.1124 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी बायतु
(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 27.10.2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 1416 - 1420

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का चीबी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पाबूराम पुत्र बगताराम,
4. विप्रार्थी श्री नारणाराम पुत्र बगताराम वगैरा 03,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।



उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर